

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **142-Jalore (S.C.)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Jogeshwar Garg

03, Laxmi Nagar, Station Road, Jalore

sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Jalore

Dated – 03.12.2023



Signature.....

(Pramod Seervi)
Returning Officer
विभागाध्यक्ष (A.C. 142 जालोर (S.C.))
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

142-जालोर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री जोगेश्वर गर्ग

03, लक्ष्मी नगर, स्टेशन रोड़, जालोर

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान जालोर

दिनांक 03.12.2023



हस्ताक्षर.....

(प्रमोद सीरवी)

रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा क्षेत्र-जालोर (अ.जा.) SC
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर